राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING
आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित/ISO 9001 : 2008 certified
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मा.सं.वि.मं., भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)
(An Autonomous Institution Under Deptt. of School Education and Literacy, M.H.R.D., of India)

फा-21-74/2016/एनआईओएस/वि.स.से./एडीएम 16 अगस्त, 2017

कार्यालय आदेश - 226/2017

अब एनआईओएस शिक्षार्थी की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रीम 2, 3 तथा 4 के अंतर्गत माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक के लिए ऑन-लाइन प्रवेश के दौरान शिक्षार्थियों से आधार नंबर मांग रहा है। इससे शिक्षार्थियों के सही पते पर उनके पहचान पत्र, अंक तालिका, माइग्रेशन प्रमाणपत्र तथा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र पहुँचाने में मदद मिलेगी।

यह आवश्यकता उन शिक्षार्थियों के लिए जरूरी है जो स्ट्रीम-I के अंतर्गत ऑन-लाईन प्रवेश के माध्यम से एनआईओस में प्रवेश लेना चाहते हैं जो यह 16 सितंबर, 2017 से माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के स्ट्रीम-I के प्रवेश से प्रभावी होगी।

प्रवेश की पुष्टि के लिए शिक्षार्थी को अन्य दस्तावेज़ों के साथ आधार कार्ड की एक प्रति जमा करना आवश्यक है। क्षेत्रीय निदेशकों को प्रत्यायित संस्थाओं (एआई) के माध्यम से शिक्षार्थियों को सूचित करने तथा क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट पर भी अपलोड करने का निदेशक दिया जाता है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सी.धारूमन)
निदेशक (वि.स.से.)

वितरण

1) सभी विभागाध्यक्ष, एनआईओएस
2) अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ सहा.निदेशक (अध्यक्ष कार्यालय)
3) क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस
4) संयुक्त निदेशक (सी.बी.सी.)/एसएपी को एनआईओएस की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
5) उप निदेशक (मूल्यांकन/गुप्त), एनआईओएस
6) गार्ड फाइल